 I.S.D.S	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, चोंदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर
	INDORE SAHAKARI DUGDHA SANGH MARYADIT, INDORE (MP) Phone : 0731-2811132/2811775/ Fax No. 0731- 2811559

पत्र क्रं. 5311 / क्षे.सं. / T-3(V) / इसदुसं / 2023

दिनांक 06 / 12 / 2023

दुग्ध संकलन परिवहन, कार्यालयीन कार्य हेतु, तरल नत्रजन प्रदाय एवं यात्री बस वाहन ई-निविदा सूचना

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ के विभिन्न दुग्ध शीतकेन्द्रों/बीएमसी मार्गों, खरगोन व खण्डवा जिले में कार्यालयीन कार्य के लिए एवं तरल नत्रजन व सीमन डोज प्रदाय वाहन हेतु दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2027 की अवधि एवं यात्री बस के लिए **Online** ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा अवधि पूर्ण होने, कार्य सन्तोषप्रद होने एवं वाहनो की स्थिति संतोषप्रद पाये जाने पर अधिकृत समिति की अनुशंसा पश्चात् एक-एक वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त दो वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी। वाहन मॉडल 2019 या उसके बाद का होना चाहिए।

क्र	दु.शी./बी.एमसी एवं जिले के नाम जिनके लिए संकलन वाहन/समकक्ष वाहन की आवश्यकता है।	निविदा प्रकाशन विवरण	मार्ग संख्या	ई-निविदा क्रय हेतु अन्तिम दिनांक/ समय	ई-निविदा अंतर्गत अनुबंध अवधि	ई-निविदा प्रस्तुत करने का अन्तिम दिनांक/ समय	तकनीकी ई-निविदा खोलने का दिनांक/ समय एवं स्थान
1	RMRD/ दुग्ध शीतकेन्द्र- चापड़ा/ फूलगावड़ी/ झाबुआ/आम्बुआ/ बड़वाह/ बड़वानी/ खरगोन से संबंधित मार्ग	षष्ठम ई-निविदा	18	दिनांक 27.12.2023 दोपहर 1:30 बजे तक	दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2027	दिनांक 27.12.2023 3 दोपहर 1:30 बजे तक	दिनांक 28.12.2023 दोपहर 2:30 बजे, कार्यालय इन्दौर सह. दुग्ध संघ मर्या. मांगलिया, इन्दौर
2	RMRD/ दुग्ध शीतकेन्द्र- खण्डवा/ बड़वानी से संबंधित मार्ग	तृतीय ई-निविदा	04				
3	RMRD/ दुग्ध शीतकेन्द्र- खरगोन से संबंधित मार्ग	द्वितीय ई-निविदा	05				
4	दुग्ध शीतकेन्द्र फूलगावड़ी से संबंधित मार्ग	प्रथम ई-निविदा	01				
5	जिला खरगोन एवं खण्डवा अंतर्गत कार्यालयीन कार्य हेतु	द्वितीय ई-निविदा	02				
6	तरल नत्रजन व सीमन डोज प्रदाय हेतु।	तृतीय ई-निविदा	01				
7	यात्री बस हेतु	प्रथम ई-निविदा	01				

वाहन हेतु निविदा प्रपत्र का पूर्ण विवरण (निविदा कार्यक्रम/मार्गों की विस्तृत जानकारी/अनुबंध की शर्तें/नियम) मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल की वेबसाईट www.sanchidairy.com पर देखी जा सकती है। विस्तृत निविदा प्रपत्र पोर्टल <http://www.mptenders.gov.in> पर उपलब्ध है। डिजीटल साईन हेतु मध्यप्रदेश इलेक्ट्रानिक डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल से टोल फ्री नम्बर **18002588684** पर संपर्क करें। समस्त निविदाएँ या किसी एक निविदा को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

--: निविदा प्रपत्र :-

निविदा कार्य:-

1. इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के 2 जिले खण्डवा एवं खरगौन के ग्रामों में भ्रमण कार्य हेतु दो वर्ष के लिए बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदा। माह में न्यूनतम 2000 कि.मी. के लिए भुगतान किया जावेगा।

ई-निविदा क्रय हेतु अंतिम दिनांक एवं समय :27.12.2023 /दोपहर 12.30 बजे तक

ई-निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय :27.12.2023 /दोपहर 01.30 बजे तक

ई-निविदा खोले जाने की दिनांक एवं समय :28.12.2023 /दोपहर 2:30 बजे

ई-निविदा खोले जाने का स्थान :कार्यालय इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मांगलिया इन्दौर,

पत्राचार हेतु पता:-

:मुख्य कार्यपालन अधिकारी
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या
चौदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ANNEXURE I

: निविदा शर्त (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

ANNEXURE II

: अनुबंध पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

ANNEXURE III

: फार्म - A (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)

ANNEXURE IV

: भाव पत्र (बोलेरों जीप/समकक्ष वाहन हेतु)


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बोलरों जीप/समकक्ष वाहन संचालन हेतु नियम एवं शर्त

1. बोलरों जीप/समकक्ष वाहन मॉडल वर्ष 2019 अथवा उसके बाद का होना चाहिए।
2. वाहन प्रथमतः दो वर्ष हेतु चलाई जावेगी, आवश्यकता पडने पर समयावधि में वृद्धि समान दरों एवं समान शर्तों पर की जा सकेगी।
3. वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेंगे।
4. वाहन मालिक को ई-निविदा भरने के पूर्व रु. 10000/- प्रति वाहन धरोहर राशि के रूप में MP Tenders को Online जमा करने होंगे।
5. वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास वैधानिक ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
6. वाहन में समस्त वैध कागजात, रजिस्ट्रेशन पेपर, बीमा, परमिट, चालक का ड्राइविंग लाईसेंस रखना अनिवार्य होंगे। एक प्रति कार्यालय में भी जमा करनी होगी।
7. जीप वाहन टेक्सी परमिट का होना अनिवार्य है।
8. निविदा स्वीकृति पश्चात मांगे जाने पर 3 दिवस में वाहन उपलब्ध कराना होगा।
9. वाहन माह न्यूनतम 2000 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर न्यूनतम के आधार पर भुगतान देय होगा।
10. वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगे।
11. वाहन में लगने वाले डीजल/आईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
12. वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।
13. प्रथम देयक के साथ पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
14. देयक से कटौती किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।
15. वाहन मालिक को कार्य आदेश के पश्चात रु. 1000/- के Non Judicial Stamp पर नोटरीज्ड अनुबंध करना होगा।
16. वाहन लगने के पश्चात डीजल दरों में वृद्धि/कमी होने पर जीप का औसत 12 कि.मी. प्रतिलीटर के आधार पर दरों में वृद्धि/कमी उसी दिनांक से की जावेगी।
17. वाहन के टोल-टेक्स रसीद की लॉग बुक में इन्द्री कर उपयोगकर्ता अधिकारी के सत्यापन पश्चात देयक के साथ प्रस्तुत करने पर संघ से भुगतान किया जावेगा।
18. वाहन मालिक द्वारा किन्हीं कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रु. 1000/- की दर से पेनल्टी की जावेगी।
19. यदि वाहन मालिक द्वारा अनुबंध अवधि के पूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा।
20. निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रु. 20000/- प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होंगे, जो वाहन बन्द होने के पश्चात् बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
21. कोई घटना-दुर्घटना होने पर समस्त जवाबदारी वाहन मालिक की रहेगी।
22. किसी संस्था द्वारा यदि समस्त जीप (कुल संख्या 2) एक साथ उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी संस्था को वरीयता दी जा सकेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर एवं बोलरों जीप/समकक्ष वाहन निविदाकार
के मध्य किये जाने वाला अनुबंध



1000/-रु. के नानज्यूडिशियल स्टॉम्प पर अनुबंध किया जाए।

/// अनुबंध पत्र ///

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक को निष्पादित किया गया जिसका प्रथम पक्ष (निविदाकार/निविदाकार संस्था) श्री/श्रीमती निवासी एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती है एवं द्वितीय पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी हैं।

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यक्षेत्र एवं खरगौन/बड़वानी/खण्डवा/झाबुआ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम पक्षकार के जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार जिसका पंजीयन क्रमांक है, से द्वितीय पक्षकार (इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर) द्वारा निर्धारित समय हेतु आवेदन किया है एवं द्वितीय पक्षकार ने इससे आगे लिखे गये निबन्धनों एवं शर्तों पर प्रथम पक्षकार का आवेदन दर रु. ... (अक्षरी रु.) प्रतिकिमी पर अग्रलिखित शर्तों के अनुसार अनुबन्ध किया जाता है।

अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज फोटो के सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा। अनुबंध की शर्तें उभयपक्षों को मान्य होगी। जिले के मार्गों पर यदि टोल टेक्स लगता है अथवा बाद में प्रारम्भ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदें प्रस्तुत करने पर संघ द्वारा परिवहन देयक के साथ भुगतान किया जावेगा।

- 1) यह ठेका अवधि दिनांक से दिनांक तक प्रभावशील रहेगी।
- 2) इन शर्तों को जीप/समकक्ष वाहन/डीजल कार परिवहन ठेके की शर्तें कहा जावेगा। शर्तों में जहाँ-जहाँ संघ शब्द आएगा, उसका तात्पर्य इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर माना जावेगा।
- 3) वाहन हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तर दायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा, यदि डीजल के अभाव में वाहन नहीं भेजा जाता है अथवा विलम्ब से भेजा जाता है तो नुकसानी के लिए प्रथम पक्ष जवाबदार होगा। ईंधन के रूप में केवल डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा।
- 4) संघ अधिकारियों के अलावा वाहन में अन्य कोई सवारी नहीं बिठाई जावेगी।
- 5) वाहन चालक के लिए प्रथम पक्ष द्वारा जो चालक नियुक्त किया जावेगा उसे संघ अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य करना होगा तथा उसके अवैधानिक कृत्यों के लिए संघ जवाबदार नहीं होगा।
- 6) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रखना होगा। खराब होने पर 24 घण्टे में प्रथम पक्ष द्वारा उसे सुधरवाया जावेगा।
- 7) प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं. संबंध उम्र पूर्ण होंषो हवास में में नामांकित घोषित करता हूँ। प्रथम पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. को संघ से व्यवहार करने का अधिकार होगा। इसकी स्वीकृति हेतु वारिस के हस्ताक्षर करवाकर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से देगा।
- 8) प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के मध्य भेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष द्वारा दिया जावेगा, वह दोनों पक्षों को मान्य होगा।

- 9) संघ में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति/पत्नि/पुत्र/पुत्री/सगे भाई-बहन नहीं है, यह कथन प्रथम पक्ष शपथ पत्र पर प्रस्तुत करेगा। यदि जॉच के दौरान कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अनुबंध निरस्त करने कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
- 10) स्वीकृत दरें अनुबंध अवधि तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है तो ही अनुबंधित दरों में कमी/वृद्धि की जावेगी। दर में कमी/वृद्धि की गणना 12 किमी प्रति लीटर के औसत आधार पर की जावेगी।
- 11) अनुबंधित वाहन का ड्रायवर प्रथम पक्ष का निजी कर्मचारी होगा तथा इनका कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एक्ट या कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या अन्य कोई अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली जिम्मेदारी का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा, इसका रिकार्ड का लेखा जोखा प्रथम पक्ष को ही रखना होगा।
- 12) प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने के 15 दिवस में स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की स्वसत्यापित छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना होगी, तत्पश्चात ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्रवाई द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
- 13) प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिभूति अमानत पेटे संघ में कुल रू. 20000/- प्रति वाहन जमा कराने होंगे, जो अनुबंध समाप्ति पर बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।
- 14) प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे, जिससे अनुरक्षण के अभाव में खराबी उत्पन्न नहीं हो।
- 15) प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का लगातार उल्लंघन करने या कार्य असंतोषजनक करते रहने तथा आदेशों का पालन नहीं करने की दशा में द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा वह अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करले, इसके अतिरिक्त इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूली जा सकेगी।
- 16) वाहन में डीजल, आईल, बीमा, ड्रायवर इत्यादि समस्त व्यय वाहन मालिक द्वारा ही वहन किये जावेगें।
- 17) वाहन संचालन हेतु ड्रायवर के पास ड्राइविंग लाईसेंस होना अनिवार्य है। वाहन चालक को संघ से किसी प्रकार का भुगतान नहीं दिया जावेगा।
- 18) वाहन माह न्यूनतम 2000 कि.मी. चलाई जावेगी, उससे कम चलने पर प्रस्तुत दर अनुसार कि.मी. का भुगतान देय होगा।
- 19) वाहन चालक को वाहन की लॉग बुक प्रतिदिन आधार पर भरना होगी एवं प्रयोगकर्ता/अधिकारी/कर्मचारी से मय कि.मी. हस्ताक्षर करवाना होंगे।
- 20) वाहन में लगाने वाले डीजल/आईल हेतु संघ से किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 21) वाहन का देयक आगामी माह की 3 तारीख तक जमा करना होगा, जिसका भुगतान 15 से 20 तारीख तक किया जावेगा।
- 22) देयक से कटोत्रा किये गये टी.डी.एस. का प्रमाण पत्र वर्ष के अन्त में प्रदान किया जावेगा।
- 23) वाहन मालिक द्वारा किन्ही कारणों से वाहन उपलब्ध नहीं करवाने पर प्रतिदिन रू. 1000/- की दर से पेनल्टी की जावेगी।
- 24) यदि वाहन मालिक द्वारा समयपूर्व वाहन संचालन बन्द किया जाता है तो एक माह पूर्व सूचना देना आवश्यक होगी। संघ द्वारा भी एक माह का नोटिस देकर समयपूर्व वाहन बन्द किया जा सकेगा।
- 25) निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा अमानत पेटे रू. 20000/- प्रति वाहन संघ में जमा करना अनिवार्य होंगे।
- 26) किसी भी विवाद की स्थिति में समस्त न्यायालयीन कार्रवाई का कार्यक्षेत्र इन्दौर रहेगा।

द्वितीय पक्ष

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

प्रथम पक्ष

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता

नाम

पिता/पति का नाम

पता

दूरभाष क्रं.

मोबाईल नम्बर

अनुबंधकर्ता के जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

01. नाम

पता

मो० नं.

आई.डी. प्रूफ

02. नाम

पता

मो० नं.

आई.डी. प्रूफ

अनुबंधकर्ता के गवाह का नाम एवं हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

01. नाम

पता

मो० नं.

आई.डी. प्रूफ

02. नाम

पता

मो० नं.

आई.डी. प्रूफ

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

ANNEXURE III

--: बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन हेतु निविदा पत्र :-

फार्म - A

फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय,
इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

विषय :- जिला खरगौन एवं खण्डवा में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन लगाने बाबद।
महोदय,

दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा सूचना अनुसार दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के खरगौन एवं खण्डवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण हेतु बोलेरो जीप/समकक्ष वाहन की ई-निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे संघ की समस्त शर्तें मान्य हैं। विस्तृत विवरण निम्नवत है-

1. वाहन ठेकेदार का नाम/निविदाकार संस्था का नाम _____
पिता का नाम _____
वारिस का नाम _____ उम्र _____ सम्बन्ध _____
पूरा पता _____
मोबाईल नम्बर 1 _____ 2 _____
2. निविदा धरोहर प्रतिवाहन राशि रु. 10000/- (दस हजार रुपये केवल) MP Tenders को ऑनलाईन जमा कर रिफ्रेश नम्बर _____ सलंगन है।
3. वाहन क्रं. _____ वाहन का प्रकार. _____
वाहन की सवारी क्षमता _____ माडल वर्ष. _____
4. जिले का नाम (जिसके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) _____
5. आयकर विभाग का पैन (PAN) नम्बर.....
6. निविदा अवधि से एक वर्ष तक या संघ को आवश्यकता पडने पर मैं समान दर एवं समान शर्तों पर अवधि बढ़ाने का अधिकार संघ को प्रदान करता हूँ।

टीप:- इस फार्म A को पूर्ण रूप से भरकर, MP Tenders को जमा राशि का रिफ्रेश नम्बर, वाहन रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति Online ई-निविदा में जमा करे, अन्यथा प्रस्तुत ई-निविदा मान्य नहीं होगी।

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
चांदा तलावली, मांगलिया, इन्दौर

ANNEXURE - IV (बोलरो जेप/समकक्ष वाहन)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू. 500/-

--:: बोलरो जेप/समकक्ष वाहन हेतु भाव-पत्र ::--

निविदा दिनांक से तीन वर्ष हेतु

निविदाकार का नाम :

क्र.	जिले का नाम	वाहन का प्रकार (वर्ष 2019 एवं उसके बाद का मॉडल)	न्यूनतम 2000 कि.मी. प्रतिमाह हेतु प्रति कि.मी. दर रूपये
1	खरगौन	बोलरो जेप/समकक्ष वाहन	
2	खण्डवा	बोलरो जेप/समकक्ष वाहन	

निविदाकार/वाहन ठेकेदार के हस्ताक्षर